



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092024-257284
CG-DL-E-20092024-257284

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3744]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024/भाद्र 29, 1946

No. 3744]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2024/BHADRA 29, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2024

का.आ. 4098(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, (11 का 2016) 2016 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतएद्वारा : निम्नलिखित आदेश करती है, नामत -:

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इस आदेश को घरेलू, वाणिज्यिक और इसी प्रकार के विद्युत उपकरण सुरक्षा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।
(2) यह घरेलू, वाणिज्यिक या समान उपयोग वाले ऐसे सभी विद्युत उपकरणों पर लागू होगा, जिनकी रेटेड वोल्टेज 250 वोल्ट सिंगल फेज प्रत्यावर्ती धारा या 415 वोल्ट श्री फेज प्रत्यावर्ती धारा से अधिक नहीं होगी और जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत जारी किसी अन्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के दायरे में नहीं आते हैं।
(3) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग**—तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश की कोई बात निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगी:

बशर्ते यह कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, (27 का 2006) 2006के तहत परिभाषित लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्यम, तालिका के क्रमशः कॉलम :के तहत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तिथि से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे (7) और (6)

बशर्ते कि इस आदेश की कोई बात घरेलू और इसी प्रकार के विद्युत उपकरणों के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष दो सौ वस्तुओं या सामानों तक आयातित वस्तुओं या सामानों पर इस शर्त के साथ लागू नहीं होगी कि ऐसी आयातित वस्तुओं या सामानों को वाणिज्यिक रूप से बेचा नहीं जाएगा और उन्हें स्क्रेप के रूप में निपटान किया जाएगा तथा विनिर्माता ऐसे माल या वस्तुओं का वर्षवार अभिलेख रखेंगे और यदि आवश्यक होतो उसे केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे। ,

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण-भारतीय मानक ब्यूरो तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी-इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

क्रम सं.	वस्तु अथवा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्य रूप से कार्यान्वयन की तिथि (सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर)	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	घरेलू, वाणिज्यिक या इसी प्रकार के उपयोग के लिए अभिप्रेत सभी विद्युत उपकरण जिनकी रेटेड वोल्टेज वोल्ट 250 सिंगल फेज प्रत्यावर्ती धारा या वोल्ट 415 श्री फेज प्रत्यावर्ती धारा से अधिक नहीं है। विद्युत उपकरणों की उदाहरणात्मक सूची नीचे दी गई है:	आईएस 302 (भाग 1) : 2008	घरेलू और इसी प्रकार के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा 1 भाग : सामान्य आवश्यकताएं	क्यूसीओ के ईराजपत्र में- प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद	क्यूसीओ के ईराजपत्र में- प्रकाशन की तारीख से नौ महीने बाद	क्यूसीओ के ईराजपत्र में- प्रकाशन की तारीख से बारह महीने बाद
1	वैक्यूम क्लीनर्स तथा वाटर सक्शन क्लीनिंग उपकरण					
2	स्पिन एक्सट्रैक्टर्स					
3	कुकिंग रेंज ,हॉबअवन तथा इसी प्रकार , के उपकरण					
4	इलेक्ट्रिकल शेवर्स हेयरक्लिपर्स तथा , इसी प्रकार के उपकरण					
5	टम्बलर ड्रायर्स					
6	वार्मिंग प्लेट्स और इसी प्रकार के उपकरण					
7	फ्राइंग पैन्सडीप फैट फ्रायर्स तथा इसी , प्रकार के उपकरण					
8	द्रव्य पदार्थों को गर्म करने के लिए उपकरण					

9	मसाज उपकरण				
10	इलेक्ट्रिक फोर्स कंवेक्शन अवनस्टीम , कुर्कर्स तथा स्टीम कंवेक्शन अवन				
11	इलेक्ट्रिक हीटिंग टूल्स				
12	इलेक्ट्रिक स्टीम कुर्कर्स				
13	इन्सेक्ट किलर्स				
14	इलेक्ट्रिक फेन्स एनर्जाइजर्स				
15	इंडोर उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक कॉल बेल्स तथा बजर्स				
16	इलेक्ट्रिक वाटर बॉयलर्स				
17	इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर्स				
18	इलेक्ट्रिकबीन स्लाइसर्स				
19	इलेक्ट्रिक बेरी स्रूस एक्सट्रैक्ट-				
20	इलेक्ट्रिक कैन ओपनर्स				
21	इलेक्ट्रिक सेंट्रिफ्यूगल जूसर्स				
22	इलेक्ट्रिक चर्न्स				
23	इलेक्ट्रिक सिट्रस फ्रूट स्क्वीजर्स-				
24	इलेक्ट्रिक कॉफी मिल्स, जिनकी क्षमता ग्राम हॉपर से अधिक न हो। 500				
25	इलेक्ट्रिक क्रीम विहर्स				
26	इलेक्ट्रिक ऐग बीटर्स				
27	इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर्स				
28	इलेक्ट्रिक ग्रेन ग्राइंडर्स, जिनकी क्षमता 31 हॉपर से अधिक न हो।				
29	इलेक्ट्रिक ग्रेटर्स				
30	रेफ्रिजरेटर्स तथा फ्रीजर्स में प्रयोग की जाने वाली मशीनों सहित इलेक्ट्रिक आईस- क्रीम मशीनें				
31	इलेक्ट्रिक नाइफ शार्पनर्स				
32	इलेक्ट्रिक नाइव्स				
33	इलेक्ट्रिक नूडल मेकर्स				
34	इलेक्ट्रिक पोटेटो पीलर्स				
35	इलेक्ट्रिक श्रैडर्स				

36	इलेक्ट्रिक सीविंग मशीनें					
37	स्लाइसिंग मशीनें					
38	इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स					
39	सिंगल वाल्ड बेकिंग अवन					
40	लो स्पीड फूड ग्राइंडिंग मशीनें					
41	डिशवाशर्स					
42	फ्लोर ट्रीटमेंट मशीनें तथा वेट स्क्रबिंग मशीनें					
43	फूड वेस्ट डिस्पोजर्स					
44	ब्लैकेटक्लोथिंग तथा इसी प्रकार , पैड्स , बल हीटिंग उपकरणके फ्लेक्सि					
45	अपलाइसेज फॉर स्किन एक्सपोजर्स टु ऑप्टिकल रेडिएशन					
46	कमर्शियल इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज ,अवन , हॉब्स तथा हॉब्स एलिमेंट्स					
47	कमर्शियल इलेक्ट्रिक डोनट फ्रायर्स तथा डीप फैट फ्रायर्स					
48	कमर्शियल इलेक्ट्रिक ग्रिडल्स और ग्रिडल ग्रिल्स					
49	कमर्शियल इलेक्ट्रिक मल्टीपर्पज कुकिंग - पैन					
50	कमर्शियल इलेक्ट्रिक फोर्ड कंवेक्शन अवनकंवेक्शन -स्टीम कुकर्स तथा स्टीम , अवन					
51	क्लोथ ड्रायर्स तथा टावल रेल्स					
52	कमर्शियल इलेक्ट्रिक बायलिंग पैन्स					
53	कमर्शियल इलेक्ट्रिक ग्रिलर्स तथा टोस्टर्स					
54	भोजन तथा क्रॉकरी को गर्म रखने के लिए वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक उपकरण					
55	कमर्शियल इलेक्ट्रिक बैसमारी-					
56	ओरल हाइजीन उपकरण					
57	सॉना हीटिंग अप्लाइसेज तथा इंप्रारेड केबिन्स					
58	घरेलू उपयोग के लिए लिक्विड और स्टीम का प्रयोग करने वाले सर्फेस क्लीनिंग उपकरण					
59	एक्वेरियम तथा गार्डन पॉन्ड के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले विद्युत उपकरण					

60	कमर्शियल इलेक्ट्रिक डिशवाशिंग मशीने				
61	वर्लपूल बाथ्स और वर्लपूल स्पा				
62	थर्मल स्टोरेज रूम हीटर्स				
63	कमर्शियल इलेक्ट्रिक रिन्सिंग सिंक				
64	कमर्शियल इलेक्ट्रिक किचन मशीनें				
65	एयरक्लीनिंग उपकरण-				
66	वाटर बेड हीटर-				
67	फिक्स्ड इमर्शन हीटर्स				
68	आउटडॉर बार्बीक्यू				
69	फुट वार्मर तथा हीटींग मैट्स				
70	एम्पूजमेंट मशीन तथा पर्सनल सर्विस मशीन				
71	टॉयलेट उपकरण				
72	फैब्रिक स्टीमर्स				
73	आवासीय उपयोग हेतु वर्टिकली मूविंग गैराज डोर्स के लिए ड्राइव्स				
74	ट्यूमिडीफायर्स				
75	कमर्शियल इलेक्ट्रिक हुड्स				
76	वेपोराइजर्स				
77	इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वाले गैसऑयल , तथा सॉलिड फ्यूल बर्निंग उपकरण				
78	इलेक्ट्रोलाइजर्स				
79	लेजर और इंटेस लाइट सोर्सेज युक्त ब्यूटी केयर उपकरण				
80	पर्सनलट्रांसपोर्टर्स-ई-				
81	स्किन ब्यूटी केयर उपकरण				
82	इलेक्ट्रिकली मोटराइज्ड पार्ट्स वाले फर्नीचर				
83	कमर्शियल वैक्यूम पैकेजिंग उपकरण				
84	इलेक्ट्रिक हैंड लैपस्				
85	हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिक एनग्रेविंग टूल्स				

नोट—इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/36/2023- एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 17th September, 2024

S.O. 4098(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:-

1. Short title, application and commencement.-(1) This Order may be called the Safety of Household, Commercial and Similar Electrical Appliances (Quality Control) Order, 2024.

(2) It shall apply to all electrical appliance intended for household, commercial or similar application with rated voltage not exceeding 250V single phase alternating current or 415V three phase alternating current and which do not fall under the scope of any other Quality Control Order issued under the Bureau of Indian Standards Act.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Compulsory use of Standard Mark.-Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that small enterprises and micro enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided also that nothing in this Order shall apply for two hundred numbers of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of household and similar electrical appliances per year with the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and can be disposed of as a scrap and the manufacturers shall maintain a year-wise record of the goods or articles and furnish the same, if so desired to the Central Government.

3. Certification and enforcement authority.-The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (2) of the Table.

4. Penalty for Contravention.-Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Sl. No.	Goods or Articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of Implementation in General (other than Micro and Small Enterprises)	Date of Implementation for Small Enterprises	Date of Implementation for Micro Enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	All electrical appliance intended for household, commercial or similar application with rated voltage not exceeding 250V single phase alternating current or 415V three phase alternating current. Illustrative list of electrical	IS 302 (Part 1) : 2008	Safety of household and similar electrical appliances: Part 1 general requirements	Six months from the date of publication of the QCO in E-Gazette	Nine months from the date of publication of the QCO in E-Gazette	Twelve months from the date of publication of the QCO in E-Gazette

	appliances is given below:					
1	Vacuum Cleaners and Water Suction Cleaning Appliances					
2	Spin Extractors					
3	Cooking Ranges, Hobs, Ovens and Similar Appliances					
4	Electrical Shavers Hair, Clippers and Similar Appliances					
5	Tumbler Dryers					
6	Warming Plates and Similar Appliances					
7	Frying Pans, Deep Fat Fryers and similar appliances					
8	Appliances for Heating Liquids					
9	Massage Appliances					
10	Electric Forced Convection Ovens, Steam Cookers and Steam-Convection Ovens					
11	Electric Heating Tools					
12	Electric Steam Cookers					
13	Insect Killers					
14	Electric Fence Energizers					
15	Electric Call Bells and Buzzers for Indoor Use					
16	Electric Water Boilers					
17	Electric Coffee Makers					
18	Electric Bean Slicers					

19	Electric Berry-juice Extractors					
20	Electric Can Openers					
21	Electric Centrifugal Juicers					
22	Electric Churns					
23	Electric Citrus-fruit Squeezers					
24	Electric Coffee Mills not exceeding 500g hopper capacity					
25	Electric Cream Whippers					
26	Electric Egg Beaters					
27	Electric Food Processors					
28	Electric Grain Grinders not exceeding 3l hopper capacity					
29	Electric Graters					
30	Electric Ice-Cream Machines, including those for use in refrigerators and freezers					
31	Electric Knife Sharpeners					
32	Electric Knives					
33	Electric Noodle Makers					
34	Electric Potato Peelers					
35	Electric Shredders					
36	Electric Sieving Machines					
37	Slicing Machines					
38	Electric Hot Plates					
39	Single Walled Baking Ovens					
40	Low Speed Food Grinding					

	Machines				
41	Dishwashers				
42	Floor Treatment Machines and Wet Scrubbing Machines				
43	Food Waste Disposers				
44	Blankets, Pads, Clothing and Similar Flexible Heating Appliances				
45	Appliances for Skin Exposure to Optical Radiation				
46	Commercial Electric Cooking Ranges, Ovens, Hobs and Hob Elements				
47	Commercial Electric Doughnut Fryers and Deep Fat Fryers				
48	Commercial Electric Griddles and Griddle Grills				
49	Commercial Electric Multi-purpose Cooking Pans				
50	Commercial Electric Forced Convection Ovens, Steam Cookers and Steam-Convection Ovens				
51	Clothes Dryers and Towel Rails				
52	Commercial Electric Boiling Pans				
53	Commercial Electric Grillers				

	and Toasters					
54	Commercial Electric Appliances for keeping Food and Crockery Warm					
55	Commercial Electric Bains-Marie					
56	Oral Hygiene Appliances					
57	Sauna Heating Appliances and Infrared Cabins					
58	Surface-Cleaning Appliances for Household use Employing Liquids or Steam					
59	Electrical Appliances for use with Aquariums and Garden Ponds					
60	Commercial Electric Dishwashing Machines					
61	Whirlpool Baths and Whirlpool Spas					
62	Thermal Storage Room Heaters					
63	Commercial Electric Rinsing Sinks					
64	Commercial Electric Kitchen Machines					
65	Air-Cleaning Appliances					
66	Water-Bed Heaters					
67	Fixed Immersion Heaters					
68	Outdoor Barbecues					
69	Foot Warmers and Heating Mats					
70	Amusement					

	Machines and Personal Service Machines					
71	Toilet Appliances					
72	Fabric Steamers					
73	Drives for Vertically Moving Garage Doors for Residential Use					
74	Humidifiers					
75	Commercial Electric Hoods					
76	Vaporizers					
77	Gas, Oil and Solid-Fuel Burning Appliances Having Electrical Connections					
78	Electrolysers					
79	Beauty Care Appliances Incorporating Lasers and Intense Light Sources					
80	Personal-e-Transporters					
81	Skin Beauty Care Appliances					
82	Furniture with Electrically Motorized Parts					
83	Commercial Vacuum Packaging Appliances					
84	Electric Hand Lamps					
85	Hand held electric Engraving Tools					

Note.-For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

[F. No. P- 29026/36/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.